न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर.ए एस.

वाद संख्या :– 98/2012 दायरा दिनांक :–07.05.2012

1. गुरदीपसिह
2. मलकीतसिह

} पिसरान सूरजनसिह पुत्र सोदागरसिह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–वादीगण

बनाम

1. सुरजनसिह पुत्र सोदागरसिह जाति रायसिख (फौत) जरिये वारिसः–
   1/1 मायाबाई बेवा सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगानगर (फौत) तर्क दिनांक 07.08.2015
   1/2 करतारो बाई पुत्री सुरजनसिह पत्नी हरनामसिह जाति रायसिख निवासी अमरपुरा रायसिखान ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.
   1/3 जंगीरो बाई पुत्री सुरजनसिह पत्नी बलविन्द्रसिह पुत्र गजनसिह जाति रायसिख निवासी चक 34 एस टी जी ढाणी तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ
2. दर्शनसिह
3. जंगीरसिह
4. गुरमीतसिह
5. रेशमसिह

} पिसरान सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगानगर।

6. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
7. उप–पंजीयक सूरतगढ जिला श्रीगगानगर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1.श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता :–वादी
2.श्री प्रभुदयाल वर्मा अधिवक्ता :– वादी
3.श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ताः– प्रतिवादी न. 1/3, 2 ता 5
4.श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ताः– प्रतिवादी न. 1/2
5.पैरोकार राज नायब तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:: निर्णय ::– दिनाक 20.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। वादीगण ने यह दावा पेश कर निवेदन किया है कि उनके पिता प्रतिवादी न. 1 के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 3 एन आर डी ए की जमाबन्दी सवत 2067 ता 70 के खाता सख्या 22/24 के पत्थर न. 81/317 के किला न. 1 ता 21 की 5.035 हैक् कमाण्ड व चक 1 एन आर डी की जमाबन्दी सवत 2067 ता 70 के खाता न. 63 के पत्थर न. 79/317 के किला न. 6 ता 10 की 1.265 हैक् कमाण्ड कुल 6.300 हैक् खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रतिवादी न. 1 जो परिवार का मुखिया है इस रकबा पर वादीगण एवं प्रतिवादी न. 1 ता 5 ब.हि.बराबर प्रत्येक 1/7, 1/7 काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु प्रतिवादी न. 1 ने दिनांक 22.09.2011 को प्रतिवादी सख्या 2 के पक्ष में चक 3 एन आर डी ए के पत्थर न. 81/317 के किला न. 7/0.126, 8/0.127, 9–10/0.506, 16/0.084 कुल 0.843 हैक् व प्रतिवादी न. 3 ने अपने पक्ष मे पत्थर न. 81/317 के किला न. 11–12/0.506, 15/0.051, 16/0.084, 19/0.202 कुल 0.843 हैक् व प्रतिवादी न. 4 ने अपने पक्ष में पत्थर न. 81/317 के किला न. 7/0.127, 8/0.126, 16/0.084, 17–18/0.506 हैक् कुल 0.844 हैक् व प्रतिवादी न. 5 ने अपने पक्ष में दिनांक 10.10.2011 को पत्थर न. 81/317 के किला न. 3–4/0.506, 5/0.240, 15/0.098 कुल 0.844 हैक् रकबा तथाकथित दान पत्र हस्तान्तरित करवा ली जिसे करने का प्रतिवादी न. 1 को कोई हक नही था व प्रतिवादी न. 2 ता 5 को दान पत्र लेने का कोई हक नही था प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनके हको से वचिंत रखने का कोई अधिकार नही है अब प्रतिवादीगण इन दानपत्र की आड मे वादीगण के कब्जा काश्त में घुसने का प्रयास कर रहे है तथा प्रतिवादी न. 1 भी इनके बहकावे में आकर बाकी बची हुई भूमि का बैचान करने पर उतारू है। दिनांक 27.04.2012 को जब वादीगण अपने कब्जा काश्त के रकबा में फसल की कटाई कर रहे थे तो प्रतिवादी न. 2 ता 5 आये व धमकी देने लगे की इस रकबा का कब्जा छोड देवे इस पर वादीगण को प्रतिवादी न. 1 ने भी धमकी दी की वो इस रकबा मे से तुम लोगो को कुछ भी नही दुगा बाकी बचा हुआ रकबा भी रहन बैचान कर [illegible] प्रतिवादी न. 2 ता 5 के नाम करवा देगा। वादीगण को इस धमकी की वजह से यह दावा पेश करना पड़ा। [illegible] दावा स्वीकार कर प्रतिवादी न. 1 के नाम के दोनो चको के उक्त 6.300 हैक् भूमि को सयुक्त रूप [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 15:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

हिस्सा की है। इसमें 2/7 हिस्सा वादीगण का घोषित किया जावें व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे तथा वादीगण के हको को वचिंत रखने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 5 के पक्ष में करवाये गये दान पात्र दिनांक 22.09.2011 व दिनांक 10.10.2011 वादीगण के हको पर निष्प्रभावी है तथा वादीगण के हक निर्धारण में बाधक नही है तथा दानपत्र शुरू से ही प्रभाव शुन्य है व चिरस्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी कर प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 को पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह कि दखलअदाजी ना तो स्वय करे वा ना ही किसी अन्य से करवाये, की डिकी जारी करने का निवेदन किया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 नियत दिनांक 13.06.2012 को बावजूद सुचना हाजिर ना आने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई व प्रतिवादी न. 1 की फौत हो जाने की सुचना वादीगण ने दी व उनके वारिसो को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 25.07.2012 को प्रतिवादी न. 2 ता 5 ने आदेश 9 नियम 7 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उनके पिता दिनाक 07.05.2012 को फौत हो जाने से वो अदालत में नही आ सके इस पर दोनो पक्षो को सुनकर प्रतिवादी न. 2 ता 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी पी सी दिनांक 22.03.2013 को स्वीकार किया व इसी रोज वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी पी सी स्वीकार कर प्रतिवादी न. 1 के शेष वारिसो को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया प्रतिवादी सख्या 1/1 व 1/3 तथा 2 ता 5 कि तरफ से श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आयेव जवाबदावा में वादीगण के तथ्यो को इन्कार करते हुए जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 का स्वअर्जित रकबा है यह रकबा प्रतिवादी न. 1 को पत्रावली न. 468 दिनांक 22.10.1971 को पुख्ता आवटित रकबा है आवटन पटटे की नकल सलग्न है व इस रकबे के खातेदारी अधिकार दिनांक 30.06.1982 को प्रतिवादी न. 1 के नाम से जारी हुए तथा प्रतिवादी न. 1 स्वम जो गुर्दा की बिमारी से पीडित थे, के बाबत आजतक कभी भी वादीगण ने कोई सेवा चाकरी नही की है तथा प्रतिवादी न. 1 से काफी वर्षो से अलग रहते है हम प्रतिवादी न. 2 ता 5 ने ही प्रतिवादी न. 1 की सेवा चाकरी की है प्रतिवादी न. 1 की बीमारी मे हमारा लाखो रूप्ये खर्च हो गया हमारी पत्नीयो के जेवरात बिक गये प्रतिवादी न. 1 ने स्वेच्छा से स्वतंत्र दिमाग से दिनांक 22.09.2012 को अपने स्वअर्जित रकबा मे से प्रतिवादी न. 2 ता 4 के पक्ष में व दिनांक 10.10.2011 को प्रतिवादी न. 5 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवाया था इन दान पत्रो के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल दर्ज हो चुका है। प्रतिवादीगण रिकार्डड खातेदार है दानपत्र रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज है इनको निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है व प्रतिवादी न. 2 ता 4 इन दान पत्रो के आधार पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। दान पत्र शुन्य दस्तावजे नही बल्कि शुन्यकरणीय दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है इसलिए दावा खारिज किया जावे तथा वादीगण ने यह दावा प्रतिवादी न. 1 के फौत होने वाले दिन दिनाक 07.05.2012 को पेश किया है जो मृतक के विरूद्व है इसलिए भी वाद वादीगण खारिज किया जावे व प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एन आर डी के पत्थर न. 79/317 के किला न. 6 ता 10 में 1.265 हैक्‍ व चक 3 एन आर डी ए के पत्थर न. 81/317 के किला न. 1–2/0.506, 5/0.013, 6/0.253, 13–14/0.506, 15/0.104, 19/0.051, 20/0.253, 21/0.013 हैक्‍ कुल 1.699 हैक्‍ रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम खातेदारी है। जिनके जायज वारिस वादीगण व प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/3 तथा प्रतिवादी न. 2 ता 5 कुल 9 जायज वारिस है। जिनका 1/9, 1/9 हक उक्त चक 1 एनआरडी के 1.265 हैक्‍ व चक 3 एनआरडी ए के 1.699 हैक्‍ रकबा में बनता है इसलिए प्रतिदावा स्वीकार करके उक्त प्रतिवादी न. 1 के नाम के शेष रकबा में वादीगण एव प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/3 व 2 ता 5 प्रत्येक का 1/9, 1/9 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे व प्रतिवादी न. 2 ता 5 के नाम के खातेदारी रकबा में किसी तरह की दखलअदाजी ना तो वादीगण स्वम करे वा ना ही किसी अन्य से करवाये तथा प्रतिवादीया न. 1/1 व 1/3 ने भी वादीगण के वाद को इन्कार करते हुए वाद वादीगण खारिज कर प्रतिवादी न. 1 द्वारा प्रतिवादी न. 2 ता 5 के पक्ष में निष्पादित दानपत्र मे वर्णित रकबा के अलावा शेष बचे हुए रकबा में सुरजनसिह के समस्त जायज वारिसो के नाम ब.हि.बराबर खातेदार कृषक घोषित करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीया न. 1/2 व प्रतिवादी न. 6 ने काफी अवसर के प्श्चात भी जवाब नही दिया इसलिए उनका जवाब दिनांक 07.08.2015 को बन्द किया गया तथा दावा व जवाब दावा मय प्रतिदावा के आधार पर दिनांक 30.09.2015 को निम्नानुसार तनकी बनाई गई।

1. आया प्रतिवादी न. 1 सुरजनसिह के नाम का चक 3 एन.आर.डी.ए की जमाबन्दी 2067 ता 70 के खाता न 22/24 का 5.035 हैक व चक 1 एन.आर.डी.की जमाबन्दी 2067 ता 2070 के खाता संख्या 63 की 1.265 हैक्‍ कुल 6.300 हैक्‍ रकबा वादीगण एवं प्रतिवादी न 1 ता 5 की संयूक्त खातेदारी भुमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बराबर का हिस्सा है ?

—वादीगण

2. आया जैरवाद 6.300 हैक्‍ रकबा का प्रतिवादी न0 1 ने अपने जीवन ... /7,1/7 हिस्सा का बंटवारा करके वादीगण का 2/7 हिस्सा का कब्जा सौप दिया था वादीगण ... न0 ... हैक्‍ रकबा में 1/7,1/7 हिस्सा दर्ज करवाने के हकदार है। ? वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 15:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

3. आया प्रतिवादी न0 1 ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.09.2011 को तथाकथित दान पत्र प्रतिवादी न 2 ता 5 के पक्ष में करवाने है, वो सहमति के अभाव में व वादीगण को उसके हिस्सा से वंचित रखने के लिये गैर कानुनी तरीके से करवाये है जो प्रभाव शुन्य है ?

— वादीगण

4. आया प्रतिवादी न 1 ने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से दिनांक 22.09.2011 व 10.10.2011 को प्रतिवादी के पक्ष में अपने स्वर्जित रकबा के दान पत्र निस्पादीत करवाये है,प्रतिवादी न न0 1 को दानपत्र तस्दीक करवाने का कानुनी हक था ?

—प्रतिवादी

5. आया दानपत्र रजिस्टर्ड है कब्जा दान पत्र की दिनांक से प्रतिवादीगण का चला आ रहा है इसलिये दान पत्र में वर्णित रकबा को वादीगण के दिनाक प्रतिवादी चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है ?

— प्रतिवादी

6. आया चक 1 एनआरडी के पत्थर न. 79/317 के किला न. 6 ता 10/1.265 हैव. व चक 3 एनआरडी के पत्थर न. 81/317 के 1.699 हैव. रकबा में वादीगण एंव प्रतिवादीगण न. 1/2, 1/3 व प्रतिवादीगण न. 2 ता 5 कुल आठ वारिस 1/8, 1/8 हिस्सा के सुरजन सिह के जायज वारिस होने के हकदार है व 1/8, 1/8 हिस्सा के ही खातेदारी कृषक है। राजस्व रिकॉर्ड में इसीनुसार दर्ज करवाने के हकदार है ?

— प्रतिवादी

7. अन्य अनुतोष ....

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू 1 मलकीतसिह व पीडब्ल्यू 2 करतारोबाई के ब्यान करवाये गये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 जगीरसिह व दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श न. 1 व दानपत्र की प्रतियां प्रदर्श न. 2 व 3 प्रस्तुत की व डीडब्ल्यू 2 सुरजीतसिह पुत्र सुरेनसिह व दस्तावेजी साक्ष्य दान पत्र प्रदर्श न. डी 1 से डी 4 व इनकी फोटोप्रतियां डी 1 ए से डी 4 ए पेश की व आवंटन आदेश तथा खातेदारी पटटो की प्रति प्रदर्श न. डी 5 व 6 व जमाबन्दी प्रदर्श न. डी 7 पेश किया। उभय पक्ष के साक्ष्य लिया जाकर दोनो पक्षो के मौखिक व लिखित बहस सुनी गई व निम्नानुसार तनकीवार निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 सुरजनसिह के नाम की चालुजमाबन्दी चक 3 एन आर डी ए की 5.035 हैक रकबा व चक 1 एन आर डी के 1.265 हैक इस प्रकार दोनो चको की कुल 6.300 हैक रकबा की चालु जमाबन्दीया की प्रतिया पेश कीजिसमें रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम खातेदारी दर्ज है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश एव खातेदारी पटटा के अनुसार प्रतिवादी न. 1 को आवटित होकर खातेदारी अधिकार जारी हुये है वादीगण ने इस रकबा को सयुक्त खातेदारी भूमि होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश जिससे यह साबित हो की इस रकबा में वादीगण एव प्रतिवादी न. 2 ता 5 का प्रतिवादी न. 1 के जीवन काल में कोई हक बनता हो इसलिए वादीगण इस तनकी को साबित नही कर पाये इसलिए इस तनकी का निर्णय खिलाफ वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 2

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण जैरप्रकरण कुल 6.300 हैक रकबा में 1/7, 1/7 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहते है परन्तु वादीगण ने कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह रकबा प्रतिवादी न. 1 का पैतृक साबित हो या वादीगण का हिस्सा इस रकबा मे जन्मजात बनता हो। दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव में मौखिक कथन का कोई महत्व नही है। इसलिए इस तनकी का निर्णय भी खिलाफ वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 3

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादी न. 1 जैरप्रकरण रकबा का खातेदार कृषक था तथा यह रकबा उसे पुख्ता आवटित व खातेदारी शुदा था तथा वो दानपत्र करने का कानुनी रूप से हकदार था प्रतिवादी न. 1 को किसी भी व्यक्ति की सहमति की आवश्कता नही थी तथा प्रतिवादी न. 1 ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से प्रतिवादी न. 2 ता 5 के पक्ष मे दानपत्र करवाये है जो रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज है तथा किसी भी न्यायालय ने इन दानपत्रो को शुन्य नही किया है तथा दानपत्र को शुन्य घोषित करने का अधिकार भी सिविल न्यायालय को है। इसलिए वादीगण इस तनकी को साबित नही कर पाये है इसलिए इस तनकी का निर्णय भी खिलाफ वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 4

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी न. 1 ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 22.09. 2011 व 10.10.2011 को रजिस्ट्रर्ड शुदा दानपत्र से प्रतिवादी न. 2 ता 5 के पक्ष में निष्पादित किये है। जिसका गवाह सुरजीतसिह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर व ... उसकी गवाही मे निष्पादित होना स्वीकार किया है तथा दानपत्र करने के बाद भी चक 1 एन आर डी ... 1.265 हैक रकबा व चक 3 एन

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

आर डी ए में 1.699 हैक रकबा सुरजनसिह के नाम शेष हैं। इसप्रकार सुरजनसिह ने अपने जीवनकाल मे तमाम रकबा की बजाय आंशिक रकबा का दानपत्र करवाया है जिसे करवाने का हक प्रतिवादी न. 1 को था इस तनकी को प्रतिवादी न. 2 ता 5 ने पूर्णतया साबित कर दिया है इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी न. 2 ता 5 किया जाता है।

तनकी न. 5

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी न. 1 ने अपने जीवनकाल में अपने नाम के चक 3 एन आर डी ए के 5.035 हैक रकबा में से आंशिक रकबा का रजिस्ट्रर्ड दान पत्र प्रतिवादी न. 2 ता 5 के पक्ष मे करवाये है इन दानपत्रो के आधार पर प्रतिवादी न. 2 ता 5 के नाम इन्तकाल दर्ज हो गया है तथा इस रकबा के प्रतिवादी न. 2 ता 5 खातेदार कृषक होने से वादीगण के खिलाफ चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के कानुनी हकदार भी है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी न. 2 ता 5 किया जाता है।

तनकी न. 6

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी न. 1 के नाम चक 1 एन आर डी पत्थर न. 79/317 के किला न. 6 ता 10 के 1.265 हैक रकबा व चक 3 एन आर डी ए के पत्थर न. 81/317 के किला न. 1–2/0.506, 5/0.013, 6/0.253, 13–14/0.506, 15/0.104, 19/0.051, 20/0.253, 21/0.013 हैक कुल 1.699 हैक रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम खातेदारी है व प्रतिवादी न. 1 व उसकी पत्नी माया बाई का स्वर्गवास हो गया है इसलिए सुरजनसिह के तमाम वारिस उक्त चक 1 एन आर डी का 1.265 हैक व चक 3 एन आर डी ए का 1.699 हैक रकबा ब0हि0ब0 अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है। इस तनकी को प्रतिवादी न. 1 ने साबित कर दिया है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी न. 7 अन्य अनुतोष

इस तनकी के निर्णय में वादीगण एव प्रतिवादीगण वाद खर्च अपना अपना वहन करेगे, के बाबत निर्णय करना उचित समझता हूॅं।

इस प्रकार उक्त तनकीयात में तनकी न. 1 ता 3 जो वादीगण को साबित करनी थी वो साबित नही कर पाये है इसलिए वाद वादी साबित ना करने से खारिज योग्य है तथा तनकी न. 4 ता 6 जो प्रतिवादीगण को साबित करनी थी वो उन्होने इन तनकीयो को साबित कर दिया है। इसलिए प्रतिदावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी न. 2 ता 5 का प्रतिदावा स्वीकार कर वादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो प्रतिवादी न. 2 ता 5 के नाम चक 3 एन आर डी ए के पत्थर 81/317 के प्रतिवादी न. 2 दर्शनसिह के नाम के 0.843 हैक व प्रतिवादी न. 3 जंगीरसिह के नाम के 0.843 हैक व प्रतिवादी न. 4 गुरमीतसिह के नाम के 0.806 हैक व प्रतिवादीन. 5 रेशमसिह के नाम के 0.844 हैक रकबा मे किसी तरह की दखलंदाजी नही करेगे व सुरजनसिह पुत्र सोदागरसिह के नाम के इस पत्थर न. 81/317 के शेष 1.699 हैक व चक 1 एन आर डी के पत्थर न. 79/317 के किला न. 6 ता 10 के 1.265 हैक कमाण्ड रकबा में वादीगण व प्रतिवादी न. 1/2 व 1/3 तथा प्रतिवादी न 2 ता 5 को ब.हि.बराबर 1/7, 1/7 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.08.20 को सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 15:59:57 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर(राज0)

(बइजलास :– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

1. गुरदीपसिह
2. मलकीतसिह } पिसरान सूरजनसिह पुत्र सोदागरसिह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1. सुरजनसिह पुत्र सोदागरसिह जाति रायसिख (फौत) जरिये वारिसः–

1/1 मायाबाई बेवा सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगानगर (फौत) तर्क दिनांक 07.08.2015

1/2 करतारो बाई पुत्री सुरजनसिह पत्नी हरनामसिह जाति रायसिख निवासी अमरपुरा रायसिखान ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.

1/3 जंगीरो बाई पुत्री सुरजनसिह पत्नी बलविन्द्रसिह पुत्र गजनसिह जाति रायसिख निवासी चक 34 एस टी जी ढाणी तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ

2. दर्शनसिह
3. जंगीरसिह
4. गुरमीतसिह
5. रेशमसिह } पिसरान सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
7. उप–पंजीयक सूरतगढ जिला श्रीगगानगर।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्तगत धारा 88, 188, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 98 वर्ष 2012 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील श्री प्रभुदयाल वर्मा वादी व वकील श्री शिशपाल शर्मा प्रतिवादी न. 1/3, 2 ता 5 व वकील श्री विनोद बिश्नोई प्रतिवादी न. 1/2 व पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी न. 2 ता 5 का प्रतिदावा स्वीकार कर वादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो प्रतिवादी न. 2 ता 5 के नाम चक 3 एन आर डी ए के पत्थर 81/317 के प्रतिवादी न. 2 दर्शनसिह के नाम के 0.843 हैक्ट व प्रतिवादी न. 3 जंगीरसिह के नाम के 0.843 हैक्ट व प्रतिवादी न. 4 गुरमीतसिह के नाम के 0.806 हैक्ट व प्रतिवादीन. 5 रेशमसिह के नाम के 0.844 हैक्ट रकबा मे किसी तरह की दखलांदाजी नही करेगे व सुरजनसिह पुत्र सोदागरसिह के नाम के इस पत्थर न. 81/317 के शेष 1.699 हैक्ट व चक 1 एन आर डी के पत्थर न. 79/317 के किला न. 6 ता 10 के 1.265 हैक्ट कमाण्ड रकबा में वादीगण व प्रतिवादी न. 1/2 व 1/3 तथा प्रतिवादी न 2 ता 5 को ब.हि.बराबर 1/7, 1/7 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

नोज.,.... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह .... फस्दों की पालना .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20.08.20 **को जारी की गई।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 15:59:57 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ